भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र

डाकघर : केट

इंदौर - 452 013

संदर्भ संख्या-14/05/2020-GAC/434

दिनांक 21/04/2021

<u>प रि प त्र</u>

विषय : <u>नोवेल कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिए बचाव के उपाय के संबंध में.</u>

आरआरकेट के दिनांक 20/04/2021 के परिपत्र संख्या-14/05/2020-GAC/2611 का अधिक्रमण करते हुए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर के हाल के दिनांक 20/04/2021 के आदेश के अनुरूप अनुपालन में "जनता कर्फ़ू" का कड़ाई से कार्यान्वयन करने के लिए निम्नलिखित गाइड-लाइंस जारी की जाती हैं :

1) आरआरकेट में वैज्ञानिक एवं तकनीकी गतिविधियाँ बंद रहेंगी.

2) सभी अत्यावश्यक सेवाओं के कर्मचारी [अग्निशमन, सुरक्षा, वाहन चालक, अत्यावश्यक सेवाओं हेतु कार्यरत सीएसडी कर्मचारी (सब-स्टेशन/विद्युत आपूर्ति, पंप-हाउस/जल-आपूर्ति, अत्यावश्यक हाउस-कीपिंग, कोरोना संबंधी सेनिटाइजेशन आदि)] एवं आरएमसी स्टाफ कार्य करते रहेंगे.

3) ऐसे पदाधिकारी जो कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं, वे अपने आवास पर घर से कार्य करते हुए सारे समय टेलीफोन तथा संचार के अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे.

4) निर्माण संबंधी समस्त गतिविधियाँ बंद रहेंगी.

5) कार्यालय जाने वाले सभी पदाधिकारी गृह-मंत्रालय एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड-19 संबंधी मार्ग-दर्शन/उचित आचरण जिसमें मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, सैनिटाइजर का उपयोग करना और साबुन एवं पानी से बार-बार हाथ धोना शामिल है, का पालन करेंगे.

6) उपर्युक्त निर्देश इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे तथा दिनांक 30/04/2021 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, लागू रहेंगे.

आरआरकेट एवं इसके परिसर में स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है.

21.4.21
(एस.एस. गोंडाणे)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

<u>सभी वर्ग निदेशक,</u>

<u>सभी सह निदेशक,</u>

<u>सभी प्रभाग / अनुभाग / प्रयोगशाला प्रमुख, आरआरकेट</u>

<u>मेल-ऑल</u>

प्रतिलिपि : निदेशक कार्यालय, आरआरकेट
: क्षेत्रीय निदेशक (क्रय एवं भंडार), आरआरकेट
: उप लेखा नियंत्रक, आरआरकेट
: उप कमांडेंट, कें.औ.सु.ब., आरआरकेट
: उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, आरआरकेट

21.4.21